



कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला मुरैना (म.प्र.)
क्रमांक / स्टेनो / ए.डी.एम. / को.वाय. / 2020 / 38/2

मुरैना, दिनांक २१/०३.२०२०

आदेश

प्रदेश में कोरोना वायरस के कारण संभावित किसी प्रकार के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए जिन मंदिरों में भारी संख्या में नियमित रूप से दर्शनार्थी दर्शन के लिए आते हैं तथा करने की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख मंदिरों पर आगामी आदेश तक दर्शन को प्रतिबंधित किया जाता है तथा नियमित सेवा पूजा अर्चना यथावत रहेगी।

1. श्री शनि मंदिर, ऐंती
2. श्री काली माता मंदिर माताबसैया
3. श्री बिहारी जी मंदिर मुरैना
4. श्री ज्ञानेश्वरी माता मंदिर, मुरैना
5. श्री महामाया दुर्गा मंदिर, मुरैना
6. श्री गिरज जी, मंदिर मुरैना
7. श्री घिरौना हनुमान मंदिर, मुरैना।
8. श्री करह धाम आश्रम, मुरैना।
9. निरार माता, पहाड़गढ़, जौरा
10. कटीवरी हनुमान मेला, जौरा
11. सती माता, मानपुर गाँव, जौरा
12. हीराभूमियों मेला, कन्हाररेतकी, पहाड़गढ़ जौरा
13. मुट्ठमुट्ठो माता, जौरा
14. हीरो माता मंदिर, अम्बाह
15. धीवरवल का पुरा (कुकथरी), अम्बाह
16. श्यामपुर वाली माता मंदिर, अम्बाह
17. धर्मगढ़ माता मंदिर, पोरसा
18. राधाकृष्ण मंदिर शहरी क्षेत्र, पोरसा
19. नागाजी मंदिर शहरी क्षेत्र, पोरसा
20. आसमानी माता मंदिर (औरेठी) ग्रामीण क्षेत्र पोरसा।
21. पूठा वाली माता कौथरकलॉग्रामीण क्षेत्र, पोरसा
22. बहरारा माता मंदिर, कैलारस
23. अलोपी शंकर, कैलारस
24. राममंदिर सबलगढ़
25. दाऊजी मंदिर, सबलगढ़
26. कलंगी मंदिर, सबलगढ़

कलेक्टर,
जिला मुरैना म.प्र.
मुरैना, दिनांक २१/०३.२०२०

पृ. क्रमांक / स्टेनो / ए.डी.एम. / को.वाय. / 2020 / 38/2
प्रतिलिपि :-

1. पुलिस अधीक्षक, मुरैना।
2. प्रभारी अधिकारी, माफी/औकाफ। सभी मंदिर के पुजारियों से निरन्तर सम्पर्क में रहते हुए प्रतिदिन परिस्थिति का आंकलन राजस्व निरीक्षक/प्रतवारियों की ढूँयूटी लगाकर प्राप्त करें व मुझे बतावें।
3. समस्त एस.डी.एम. जिला मुरैना, को निर्देशित किया जाता है कि यदि आवश्यक हो तो अपने—अपने क्षेत्रों में अन्य मंदिरों पर यथा आवश्यक मुझसे चर्चा करते हुए प्रतिबंध निर्गत करें।
4. समस्त तहसीलदार, जिला मुरैना।
5. उप संचालक, जनसम्पर्क विभाग, मुरैना।

कलेक्टर,
जिला मुरैना म.प्र.